कार्यालय नगरपालिका नाथद्वारा,राजसमन्द(राज.)

Email: np_ntd@yahoo.co.in, nagarpalikanathdwara@gmail.com Ph. 02953-233526

क्रमांक : न.पा.नाथ./भूमि/21/8997 दिनांक : 3-2-2022

–:आम सूचना:–

एतदर्थ सर्वसाधारण को सूचित किया जाता हैं कि प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के तहत् राज्य सरकार के निर्देशानुसार आवासीय योजनाओं के पट्टों के नवीनीकरण तथा लीज डीड /लाईसेन्स के कार्य संपादित किये जाने हैं। नगरपालिका नाथद्वारा क्षेत्र में पूर्व में 1984 में मण्डल द्वारा नगर में राजकीय आवासीय योजना जिसे सुखाडिया नगर आवासीय योजना के नाम से जारी किया गया था के अंतर्गत सुखाडिया नगर क्षेत्र को पृथक–पृथक जोन में विभक्त कर योजना अनुसार भूखण्डों की निलामी/आवंटन में की गयी थी। उक्त योजना में पालिका द्वारा वर्ष 1984 जोनवार पृथक–पृथक भूखण्डों की निलामी/आवंटन की जाकर विभिन्न पट्टों के नवीनीकरण तथा लीज डीड/लाईसेन्स जारी किये गये थे परन्तु तत्समय से लेकर आज दिनांक विभिन्न आधारभूत सुविधाओं अनुसार पालिका द्वारा तत्समय किये गये समस्त परिवर्तनों यथा सामुदायिक भवन, नालों का निर्माण, सड़कों का निर्माण, पेयजल व्यवस्था आदि से कई बार योजना मानचित्र में परिवर्तन परिलक्षित हो रहे है जिसके कारण वर्तमान मौका अनुसार स्थिति अनुसार उक्त प्रकरणो जो लीज डीड जारी करने अथवा पूर्व मं आवंटित भूखण्डो के वर्तमान ले आउट स्थिति अनुसार घटी अथवा बडी हुए प्लाट साईज में परिवर्तन तथा अन्य भौगोलिक परिस्थिति अनुसार समस्त प्रकरणो का निस्तारण नियमानुसार करने हेतु नगर नियोजक विभाग से प्राप्त सुझाव अनुसार पालिका द्वारा राजकीय स्तर पर उक्त सम्पूर्ण क्षेत्र जो कि सुखाडिया नगर योजना के नाम से जाना जाता है के समस्त परिवर्धनों तथा मौका स्थिति अनुसार परिवर्तनों को समावेश तथा पूर्व के 1984 के ले आउट का सूपरइम्पोज वर्तमान में प्रस्तावित नवीन ले आउट जो कि पालिका द्वारा आरटेक इन्फ्रा के द्वारा नवीन संशोधित योजना मानचित्र तैयार करवाया गया हैं।

अतः सुखाडिया नगर में स्थित सम्पूर्ण जोनवाइज भूखण्डधारियों को जरिये आम–सूचना सूचित किया जाता हैं कि सुखाडिया नगर योजना क्षेत्र से सम्बन्धित जो भी दस्तावेज अथवा सक्षम स्तर से पंजीकृत दस्तावेज अथवा लीज डीड अथवा आंवटन पत्र आदि जो भी सर्वजन के पास योजना संबंधी रिकार्ड दस्तावेज लीज डीड, लाईसेन्स, निर्माण स्वीकृति, योजना मानचित्र की प्रतियां उपलब्ध हो तो इस सूचन प्रकाशन से सात दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करें जिससे राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप उक्त ले–आउट जो वर्ष 1987 में इकजाई किया गया था जिसे वर्तमान स्थिति अनुसार योजना मानचित्र तैयार कर अब तक जारी समस्त कमीटमेन्ट अथवा आंवटन पत्रो को समाहित करते हुए नवीन ले आउट सक्षम स्तर से स्वीकृत कराया जाकर उक्त लीज डीड तथा इस योजना से सम्बन्धित खांचा भूमि प्रकरणो का नियमानुसार मौका स्थिति अनुसार निस्तारण किया जा सकेगा । बाद मयाद पालिका द्वारा वर्तमान सर्वे के आधार पर योजना मानचित्र अनुमोदन कर सभी लम्बित प्रकरणो को प्रशासन शहरों के संग अभियान के अन्तर्गत गठित एम्पावर्ड कमेटी में प्रस्तुत कर निस्तारण कर दिया जायेगा। जिस पर कोई आपत्ती निर्धारित अवधि बाद स्वीकार्य नहीं होगी।

3/2/2022

आयुक्त
नगरपालिका, नाथद्वारा
दिनांक : 3-2-2022

कमांक/न.पा.नाथ/भूमि/21/
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ :– 8998 – 9002

1. श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, नगरपालिका नाथद्वारा।
2. संपादक श्री .... राजस्थान पत्रिका/दैनिक भास्कर/प्रातःकाल/ दैनिक नवज्योति/राष्ट्रदूत/..
3. श्री हरीश सैन सहायक प्रोग्रामर नगर पालिका नाथद्वारा इस सूचना को पालिका बेबसाइट पर अपलोड कराना सुंनिशिचित करे।
4. कार्यालय नगरपालिका नोटिस बोड पर चस्पानगी।
5. सुरक्षित पत्रावली।

3/2/2022

आयुक्त
नगरपालिका, नाथद्वारा

E:\Bherulal\Letter\2022\Jan\Aam suchana sukhadia nagar (1).docx

Scanned by CamScanner